

दिनांक 11.10.2022

आज पत्रावली अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र पेश करने पर कार्यालय से तलब कर, पेश हुई। अभियुक्त द्वारा की गई जुर्म संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए, जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना जमा किया गया। पत्रावली विधिनुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(मिथिलेश पाण्डेय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)।